

CEM/1985  
29/11/19

AHO

प्रपत्र-अ

42  
29-11-19

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु  
प्रार्थना-पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक/संस्था द्वारा
1	संस्था/संगठन का नाम	दी शिल्प इनस्टियूट आफ आर्किटेक्चर्स
2	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	शनिवार सिंह शेखरवाल
3	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाइल नं. एवं मेल आई.डी.	P.N. 124, दिव्यगत नगर टॉवर, रोड ऊयपुर
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	शिल्प इन्डस्ट्रीज ला. २८ के लिए
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	2000 Sq.M. मानसरोवर निशापुर
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	माईन रहूल के राजपुर 2000 Sq.M.
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	संलग्न है।
8	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	NA
9	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है।
	ii- बाईलॉज रेग्युलेशन्स	संलग्न है।
	iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलन्स शीट	संलग्न है।
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है।
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न है।
	vi- रुपये 5000 + 900 GST सहित (पांच हजार नौ सौ रुपये) का बैंक डी.डी. /पे-ऑर्डर जो सम्बंधित शहरी निकाय के सचिव/अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपराक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया हैं संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 29/11/19

स्थान : जयपुर

Mr. Gajendra Singh Shekharwati

Mo. No - 9829019460

The Indian Institute of Architects

Gajendra Singh  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
Chairman  
Rajasthan Chapter  
The Indian Institute of Architects.

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत  
निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	आवेदक का नाम जहाँ भूमि चाही गई है।	आवेदक का नाम जहाँ भूमि चाही गई है।
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहाँ भूमि चाही गई है।	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्थान ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहाँ भूमि चाही गई है।
आवेदनकर्ता संरथा के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	रास्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	02/09/1929
संवधित आवेदक संरथा द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संवधित आवेदक संरथा द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न है।
वाही गई भूमि के उपयोग वायत परियोजना रिपोर्ट, निगमन लागत व आधिक सासाधनों का विवरण।	वाही गई भूमि के उपयोग वायत परियोजना रिपोर्ट, निगमन लागत व आधिक सासाधनों का विवरण।	संलग्न है।

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ रामाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	वास्तुविद्या के तात्त्विक गतिविधियों द्वारा संस्थान के वायत परियोजना के गतिविधियों वाला है।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोमेस क्या असर ले पाएगा तथा इसमें कौनी इस्तरे में गूनि आवंटित वी गई थी।	स्टॉप
गढ़ि हा तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	लागू नहीं
संवधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था के आवंटन का निर्णय लिया गया।	590/- का D.D. संतुष्टि
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	आपूर्ति
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	लागू नहीं
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	आपूर्ति
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा वाहर	लागू नहीं
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	D.P.R.M उल्लेख है।
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	लागू नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	संस्थान गतिविधियों द्वारा विनियोजित वायत परियोजना को वडा करने के द्वितीय
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	वास्तुविद्या गतिविधियों द्वारा विनियोजित वायत परियोजना को वडा करने के द्वितीय
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	लागू नहीं
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	लागू नहीं
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	लागू नहीं
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी व्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	लागू नहीं
अन्य विवरण	लागू नहीं

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

33

Gyanendra Singh  
Chairman  
Rajasthan Chapter  
The Indian Institute of Architects.